

गारिगिष्ठ ३५।

[14/3/2022]

प्रश्न सं. [क. 2144]

परिशिष्ट 'अ'.
विधान सभा - ५२० (७) द्वारा श्रीमान. विनायक ए.पी. संदीप शीघ्रमात्र २०२०

मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में लागू

वित्तीय शक्ति पुस्तिका

भाग 1 व 2

आर.टी. पानथरे

सुविधा लॉ हाउस प्रा. लि.

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश सभान,
अद्विज जाति तथा अनुसूचित जाति
संरक्षण विभाग,

सुविधा लॉ हाउस प्रा. लि.
मध्यप्रदेश

वल्लभ भवन, भोपाल

1. सामान्य प्रशासन विभाग

अनु. क्र.	विवरण	शक्तियों का प्रयोग करने वाला सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सचिवालयीन तथा मंत्री स्थापना के संबंध में आवर्ती आकस्मिक खर्च (कहीं अभिव्यक्त न हो) की मंजूरी	1. मुख्य सचिव 2. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 3. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 4. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	पूर्ण शक्तियाँ प्रत्येक प्रकरण में रु. 25,000 तक प्रत्येक प्रकरण में रु. 10,000 तक प्रत्येक प्रकरण में रु. 1,000 तक	
(ii) *छत्तीसगढ़ सचिवालयीन अधिकारियों के संबंध में वित्तीय अधिकार				
		1. मुख्य सचिव 2. प्रमुख सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 3. विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, सा.प्र.वि. 4. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 5. रजिस्ट्रार/अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	पूर्ण शक्तियाँ प्रत्येक प्रकरण में रुपये पांच लाख तक प्रत्येक प्रकरण में रुपये 2 लाख तक प्रत्येक प्रकरण में रुपये एक लाख तक प्रत्येक प्रकरण में रुपये 25,000/- तक	

* छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग क्रमांक 249/238/वि/नि./चार/2002, दिनांक 10.5.2002 द्वारा जारी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	वीरता के लिए इनामों सहित टी.ए. मेडल तथा अन्य	सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	पूर्ण शक्तियाँ	इस संबंध में शासन प्रस्ताव तथा शासन द्वारा निर्धारित दरों के अर्धीन

Ex. Secy. (Genl. Secy.)
विभागाध्यक्ष (सचिव)
मध्य प्रदेश

7501A

1111-80 71

1	2	3	4	5
20.	निविदाएं ठेके तथा अनुबंध को स्वीकार करने की शक्ति	जिला योजना समिति	कार्य विभाग के मुख्य अभियन्ता के समान	लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के साथ परामर्श से।
21.	कार्यों का निष्पादन, बिना निविदाये बुलाये ग्राम निकायों, स्थानीय श्रमिक, हेडसेन, ग्राम पंचायत के माफत सामग्रियों की आपूर्ति की मंजूरी की शक्ति	जिला योजना समिति	दरों की अनुसूची तक पूर्ण शक्तियां तथा 20 प्रतिशत अधिक	
22.	दरों की अनुसूची में उपबंधित तभी कार्य के किसी मद हेतु एक पुरत भुगतान की मंजूरी की शक्ति	1. सभागीय अधिकृत 2. कलेक्टर	कार्य विभाग के मुख्य अभियन्ता के समान कार्य विभाग के अधीक्षण यंत्रों के समान	स्वीकृत प्राक्कलन में ऐसा उपबंध होने पर भी कोई मद जिसकी माप जा सकता है, एक पुरत भुगतान नहीं किया जाए। बराहें कि उपयुक्त, आदिवासी कल्याण विभाग/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा माप सत्यापित, परोक्षित तथा माप पुस्तक में दर्ज हो।
23.	रनिंग बिलों को पारित करना	सहायक यंत्री, आदिवासी कल्याण विभाग/ब्लॉक स्तरीय अधिकारी	कार्य विभाग के सहायक यंत्रों के समान	बराहें कि सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा माप-पुस्तिका में दर्ज किया गया है, जांच तथा सत्यापित किया गया है।
24.	प्रत्येक चौथा रनिंग बिल तथा अंतिम बिल पारित करना	समस्त अधिकारी जो प्रशासकीय अनुमोदन देने के लिए सक्षम है	पूर्ण शक्तियां	

अनुभाग - अधिकारी
 सहायक यंत्री, कल्याण विभाग
 अतिरिक्त/जाति/सहायक यंत्री

बराहें कि सक्षम तकनीकी अधिकारी

पूर्ण शक्तियां

2 3 4 5

एक/जाति/सहायक यंत्री